File No.DTA/7/0009/2022-PRM-DTA

[18/2/2026] प्रश्न संख्या क 454

परिशिष्ट - 35

प्रश्न सं. [क्र. 454]

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल

पर्यावास भवन, पंचम तल, खंड-अ, भोपाल

दूरभाष क्र: 0755-2676020 ईमेल: dtamp.bpl@mp.gov.in

क्र./डीटीए/पेरोल/2023/CNO.146491/क्रमांक: 85/2024/DTA भोपाल, 12/01/2024

प्रति,

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी,
बल्लभ भवन कोषालय ,
सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों प्रतिनियुक्ति दिनांक से संविलियन दिनांक तक की अवधि का वेतन निर्धारण के एरियर भुगतान की ऑफलाइन अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा का पत्र क्र. 2530 दिनांक 21.12.2023

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र कार्यालय संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल के पत्रानुसार तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों को द्वारा तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति दिनांक से संविलियन दिनांक तक की अवधि का वेतन निर्धारण के एरियर भुगतान की ऑफलाइन अनुमति हेतु लेख किया गया था। जिसके संदर्भ में संदर्भित पत्र में अंकित कर्मचारियों हेतु "Special Facility Screen" के माध्यम से संदर्भित पत्र में अंकित डीडीओ को भुगतान करने की सुविधा इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि:-

1. इस कार्यालय के द्वारा IFMIS सिस्टम पर भुगतान संबंधी सुविधा मात्र प्रदान की जा रही है तथा प्रकरण में उत्पन्न देयता, उसकी यथार्थता (Genuineness) एवं भुगतान संबंधी समस्त दायित्व संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
2. प्रकरणाधीन भुगतान योग्य राशि की गणना, शासन के नियम/निर्देशों के अनुपालन, भुगतान संबंधी अभिलेखों का परीक्षण एवं प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी करने का उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं संवितरण का होगा।
3. जिला कोषालय अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण में दोहरा भुगतान ना हो।
4. आहरण उपरांत भौतिक वाउचरों की प्रविष्टि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएं।
5. भविष्य में देयता त्रुटि/गणना त्रुटि/दोहरा भुगतान आदि के कारण शासकीय धनराशि की हानि आदि का उत्तरदायित्व पूर्णत: संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

प्रतिलिपि:-

1. संचालक , संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल की ओर सूचनार्थ।

Signed by Vibhuti Agarwal
उप संचालक
Date: 12-01-2024 13:29:10
कोष एवं लेखा
Reason: Approved

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल

सतपुडा भवन, द्वितीय तल, खण्ड 'ग', भोपाल म.प्र.
दूरभाष क्र 0755...2570857,2552474 Email:-adddirlfabho@mp.gov.in

क्रमांक/संचा.स्था.नि.संप./प्र.भो./स्था./2023/2530 भोपाल,दिनांक 21/12/2023

प्रति,

संचालक,
कोष एवं लेखा
पर्यावास भवन,भोपाल.

विषयः- तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों को प्रतिनियुक्ति दिनांक से संविलियन दिनांक तक की अवधि का वेतन निर्धारण के एरियर भुगतान हेतु 11-001 सक्रिय करने की अनुमति बाबत्।

सन्दर्भः- कार्यालय-आयुक्त कोष एवं लेखा,भोपाल के पत्र क्रमांक/1880/2023/डीटीए/पेरोल/2023/सी.एन.-146491 भोपाल दिनांक 17.10.2023

---00---

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.09.2023 को सन्दर्भित करते हुए इस संचालनालय के अन्तर्गत तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों को प्रतिनियुक्ति दिनांक से संविलियन दिनांक तक की अवधि का वेतन निर्धारण के एरियर भुगतान के सन्दर्भ में न्यायलयीन आदेश, विभागीय आदेश सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विस्तृत जानकारी एवं वेतन निर्धारण के अनुमोदन संबंधी समस्त दस्तावेजों की प्रति चाही गयी है । इस बाबत् संबंधितों के प्रतिनियुक्ति आदेश, संविलियन आदेश, प्रतिनियुक्ति अवधि के वेतन निर्धारण का आदेश तथा कोष एवं लेखा द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण पत्रक की सत्यापित छाया प्रति संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार,

अपर संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
प्रकोष्ठ-भोपाल

क्रमांक/संचा.स्था.नि.संप./प्र.भो./स्था./2023/2531 भोपाल,दिनांक 21/12/2023

प्रतिलिपिः- श्री विभूति अग्रवाल, उप संचालक कोष एवं लेखा पर्यावास भवन,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक